		क्रमांक व दिनांक
29.07.2019	आज यह दावा वादी की ओर से श्री विप्लव पंडित एडवोकेट के द्वारा पेश किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 29.08.2019 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़	
29.8.19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व राम फैरोजा उपस्थित। प्रति० क्र० 2 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। राम फैरोजा प्रति० क्र० 2 द्वारा वाद डिक्री में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया। अतः प्र० क्र० 1 की गई [illegible] वादी की आपत्ति नहीं। वाद वादी स्वीकार किया जाता है व [illegible] निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] [illegible] निर्णय मुताबिक [illegible] के दाखिल [illegible] [signature] (M.L. Sharma)	रामदेवाराम अधिवक्ता वादी [illegible] उपस्थित [signature]

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या 123/2019

रामदेवा उर्फ रामदेवसिंह पुत्र गोरूराम जाति जाट निवासी खेदडों की ढाणी तुर्कानी जोहडी तन खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
2. प्रबंधक बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—प्रतिवादीगण

वाद :— घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड

वकील वादी— श्री विप्पल पंडित

वकील प्रति0 — राज पैरोकार ना.तहसीलदार

निर्णय

निर्णय दिनांक 29.08.2019

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम तुर्कानी जोहडी पटवार हल्का खिरोड की सरहद में खाता सं0 153 के भूमि ख.न. 507/52/0.13, 509/52/0.18, 515/21/1.64 है0 किता 3 कुल रकबा 1.95 है0 थित है जो वादी की अनन्य खातेदारी काश्तकारी की भूमि है जिसके संबंध में वादी उक्त वाद बाबत घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती का पेश है, वादी का नाम रामेदवाराम है वादी को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है, वादी के आधार कार्ड, भारत निर्वाचन अयोग का पहचान पत्र परिवार का राशनकार्ड, आदि समस्त दस्तावेजाता में भी वादी का नाम रामदेवाराम है परन्तु वाद पत्र की मद संख्या 1 मं दर्ज भूमि के राजस्व रिकार्ड में सहवन से व राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से वादी का नाम रामदेवाराम के स्थान रामदेवसिह दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम रामदेवाराम है। इसलिये वाद पत्र की मद सं0 1 में दर्ज भूमि के राजस्व रिकार्ड मे रामदेवसिंह के स्थान पर रामदेवाराम दुरूस्त किया जावे तथा इसी आशय की घोषणा की जावे जिसके लिये उक्त वाद बाबत घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकार्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

वादी का सही नाम रामेदवाराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में रामदेवसिंह दर्ज है जो एक टक्नीकल एरर है वादी वाद पत्र के साथ कार्यालय ग्राम पंचायत खिरोड का प्रमाण पत्र पेश कर रहा है जो उक्त तथ्य को बल प्रदान करता है कि वादी का नाम रामदेवाराम है। इसलिये वादी के नाम की राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। वादी को राजस्व रिकार्ड की पूर्व में जानकारी नही थी परन्तु वादी के भाई चन्द्रसिंह ने माननीय न्यायालय में विभाजन का वाद पेश किया तो वादी का ज्ञात हुआ कि वादी का ाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जैसे ी विभाजन होकर खातेदारी वादी के नाम से सेपरेट दर्ज हुई तुरन्त ही उक्त वाद सेवामें पेश किया जा रहा है।

अतः वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित राजस्व ग्राम तुर्कानी जोहडी के खाता सं0 153 की भूमि ख.न. 507/52/0.13, 509/52/0.18, 515/21/1.64 किता 3 कुल रकबा 1.95 है0 के राजस्व रिकार्ड मं वादी का नाम रामदेवसिंह के स्थान पर रामदेवाराम दुरूस्त फरमाया जावे तथा इस आशय की घोषणा की जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण नं. 2 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नं. 1 राज पैरोकार उपस्थित होकर वाद अनुसार खातेदार का नाम शुद्ध किये जाने में कोई एतराज नही होना आदेशिका में अंकित किया गया। अतः बहस वकील वादी सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम तुर्कानी जोहडी की भूमि ख.न. 507/52/0.12, 509/52/0.18, 515/21/1.64 किता 3 कुल रकबा 1.95 है0 की खातेदारी रामदेवसिंह पुत्र गोरूराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा.देह खातेदार तथा बडौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खिरोड के रहन होना अंकित है। इस संबंध में प्रस्तुत फोटो प्रति आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, परिवार का राशनकार्ड तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वादी का नाम रामदेवाराम पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

अंकित होने से वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है। वादी का सही नाम रामदेवाराम पुत्र ...म होना प्रमाणित है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम तुर्कानी जोहडी की भूमि खाता सं0 153 के ख.न. 507/52/0.13, 509/52/0.18, 515/21/1.64 किता 3 कुल रकबा 1.95 है0 में रामदेवसिंह पुत्र गोरूराम जाति जाट के स्थान पर रामदेवाराम पुत्र गोरूराम जाति जाट दुरूस्त किया ~~जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया~~ जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक ~~घोषित खातेदारी~~ अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे तथा भूमि पर रहन का नोट अंकित किया जावे। पक्षकार अपना अपना खर्चा वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज 29.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

C.A. आदेश

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
नवलगढ

Scanned by CamScanner